अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

का.आ. 247(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 27 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1365 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने नव भारत जाग्रती केन्द्र मुख्य कार्यालय ग्राम बेहरा,

डाकखाना बिन्द्रावन मार्फत चौपारन, जिला हजारीबाग(झारखंड) द्वारा सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गरीब बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहायता परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 4 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव भारत जाग्रती केन्द्र, मुख्य कार्यालय, ग्राम बेहरा, डाकखाना बिन्द्रावन मार्फत चौपारन, जिला हजारीबाग(झारखंड) द्वारा सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गरीब बच्चों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहायता परियोजना परियोजना या स्कीम को 39.00 लाख रूपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 46/2007/फा. सं. एन.सी.-274/4/2006]

डी. पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)